

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

रामदेव वर्मा

बनाम

पारसी सरकार

किस्म मुकदमा:- 225

मिसल न०

2021/22 /

सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुकम की तारीख में जारी हुए
5/9/23	<p>अधिवक्ता कमीलांग व अधिवक्ता शेखो उप०। कमीलांग व शेखो स्वयं उपस्थित। कमीलांग व रामदेव 50 रोड्स उर्फ टोलमह हक देवीलाह 50 रोड्स उर्फ टोलमह की पहचान उनके अधिवक्ता श्री महेम चौधरी द्वारा की गई। शेखो पारसी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री महेम चार्म द्वारा की गई। अधिवक्ता उमयदस ने निवेदन किया कि पसकाल एक ही परिवार के सदस्य हैं। पसकालों के मध्य शरीफाया हो गया है। अब उनके मध्य में कोई विवाद नहीं रह गया है। अधिवक्ता उमयदस ने दोबारा बयान निवेदन किया कि माननीय कमीशन न्यायालय ने कपड़े जिनके 15/7/21 में शास्त्रा दिये जाने का कौटुम्बिक पारित किया था पसकाल उक्त कौटुम्बिक के विरुद्ध कमीलांग व हक न्यायालय लाला में कमीला उक्त कपड़े व शरीफाया कौटुम्बिक हो जाने से शास्त्रा कायम नहीं हो सका। उक्त कौटुम्बिक में कमीलांग के तीन शर्तों की कृषि भूमि में से दोकर शास्त्रा दिया गया था जो काली परिसर भी था तथा कमीलांग की काली के मध्य में से दोकर भी रहा था जिस कारण परिवार में आपसी मनमुटाव हो गया। अधिवक्ता उमयदस ने दोबारा बयान निवेदन किया कि परिवार दोनों के सम्मान से दोनों पसकाल बात पर सहमत हो गये हैं कि जो जिला में पूर्व का शास्त्रा संशुद्ध हो शेष है जिसके खसरा नम्बर 831, 835, 839, 779 हैं, शेखो डेह पारसी जो कपड़े उक्त श्रेष्ठ पर जाने जाने के लिए शास्त्रा के खसरा नम्बर 839 से शर्तों की काली खसरा नम्बर 837 के जिला</p>	<p>रामदेव</p> <p>5/9/23</p> <p>gdenhical</p> <p>15.9.23</p> <p>पारसी</p> <p>gdenhical</p>

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

बनाम.....

किस्म मुकदमा:-

मिसल न०

/ सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>क्रिनर इवसस नम्बर 838, 1283/837 के खर्चाद सामुदाय 50 टैण के खर्च के खर्चरे खर्चरे इवसस नम्बर 837, 1289/789 के खर्चाद खर्चाद 50 टैण की छुषि करानी के खर्चरे के लिए खर्चरे पर सहमत हैं। खर्चरे की खर्चरे सभी हुमाव पर 15 फीट व खर्चरे पर 12 फीट खर्चाद दिने जाने बावत खर्चरे पर सहमत हैं। खर्चरे खर्चरे के मध्य करानी के खर्चरे विवाद नहीं हैं। खर्चरे उमयपस ने निवेदन किया है कि खर्चाद पनावली कधीन न्यायालय में उचित कर की जाठ विवादों उक्त का पसनायों की सहमति अनुसार निस्तारण हो गई। हमने पनावली का खर्चरे विवाद उमयपस खर्चरे उक्त का करानी सहमति अनुसार निस्तारण करवाना चाहते हैं। उक्त मूलतः RA की धारा 251 क के तहत खर्चरे को सम्बंधित है। पसनायों के मध्य उक्त 2017 से ही चल रहा है। हमारे मत में यदि पसनाय खर्चरे के उक्त को सहमति को यह करवाना चाहते हैं तो उक्त का अंतिम रूप को निस्तारण हो खर्चरे तथा पसनायों के मध्य खर्चरे पर खर्चरे व खर्चरे भी बना रहेगा। उमयपस खर्चाद खर्चरे जिले 15/7/21 को खर्चरे कर लठ खर्चरे को सहमति के आधार पर निगम चाहते हैं। कर। खर्चाद निगम जिले 15/7/21 को खर्चरे विवाद जाने उचित होगा तथा उमयपस के निवेदन पर उक्त कधीन न्यायालय को उचित विवाद जाने उचित होगा। कधीन न्यायालय उमयपसनाय</p>	

*(Handwritten signature)*

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा


फर्द अहकाम

बनाम .....

किस्म मुकदमा :-

मिसल नं०

/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुकम की तारीख में जारी हुये
	<p>को सुनना उनकी शर्तों के संबंध में पुनरावकाश निर्माण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर पुनरावकाश निर्माणानुसार निस्तारण करें। पत्रांक दिनांक ५/१०/२३ को नवीनरतन न्यायालय में पत्रांक है।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा</p>	